अध्याय 11

वन अधिकारियों के सम्बन्ध में

धारा 72. राज्य सरकार वन अधिकारियों के कतिपय शक्तियाँ विनिहित कर सकेंगी -

(1) राज्य सरकार किसी वन अधिकारी में निम्नलिखित सब शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगा, अर्थात् -

(क) किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन या नक्शा तैयार करने की शक्ति।

(ख) साक्षियों को हाजिर होने के लिये और दस्तावेजों (Documents) एवं सारवान् (Material) वस्तुओं को पेश करने के लिये विवश करने वाल सिविल न्यायालय की शक्ति।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता (1988) के अधीन तलाश वारण्ट निकालने की शक्ति और

(घ) वन विषयक अपराधों की जाँच करने और ऐसी जाँच के दौरान साक्ष्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य होगा यदि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो।

धारा 72 के अन्तर्गत बने नियम - (नोटीफिकेशन नं. 1126 दि. 22-11-1911)

राज्य शासन समस्त वन अधिकारियों को जो वन मण्डल के प्रभार में है, और समस्त सहायक वन संरक्षकों को, (जिन्होंने फारेस्ट कोड की धारा 40 में निर्धारित वन विधि की परीक्षा पास कर ली है) धारा 72 के अन्तर्गत समस्त अधिकार उनके प्रभाग-क्षेत्र में उपयोग करने हेतु अधिकृत करती है। साथ ही समस्त परिक्षेत्र अधिकारी एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जिन्हें वन अपराधों की जाँच हेतु अधिकृत किया गया है, साक्षियों को हाजिर होने के लिये समन जारी करने हेतु अधिकृत करती है।

साक्ष्यों को भोजन व्यय (Diet money) का भुगतान - वन अधिकारियों द्वारा की जा रही वन अपराधों की जाँच में उपस्थित होने वाले साक्ष्यों की वन-मण्डलाधिकारी द्वारा भोजन व्यय का भुगतान स्थानीय न्यायालयों में प्रचलित दर से, या जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर कर सकता है।

टिप्पणी (1) धारा 72 के अन्तर्गत वन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के समक्ष तथा उसका प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान करने के बाद लिये गये साक्ष्य, दण्डिक प्रकरण के लिये महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो दण्डाधिकारी के समक्ष प्रयोग किये जा सकते हैं।

(ज.लॉ.जर्नल 1960 टिप्पणी 160, सज्जन सिंह वि. म. प्र. राज्य)

(2) ऐसे वन अधिकारियों को जिन्हें धारा 72 के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया हो, जाँच पड़ताल, के अधिकार हैं तथा बयान शपथ पर लिपिबद्ध करने का अधिकार है।

(3) इस धारा के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारियों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा अब व्यवहार प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायाधीश के वे अधिकार समाविष्ट किये गये हैं जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्षियों को आहूत करने तथा लेख प्रस्तुत करने का है तथा अन्य तत्समय प्रावधान सम्मिलित है।

धारा 73. वन अधिकारियों को लोक सेवक समझा जावेगा - सभी वन अधिकारियों को भारतीय दण्ड विधान संहिता (1860 का 45) के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

[1]धारा 74 सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये परित्राण -

इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किसे गये आदेशों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या [2]इस प्रकार की जानें से छोड़ दी गई किसी बात के लिये किसी लोक सेवक के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

टिप्पणी - (1) सद्भावनापूर्वक की परिभाषा भातीय दण्ड विधान, 1860 की धारा 52 में दी है। जिसके अन्तर्गत कोई बात "सद्भावनापूर्वक " की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती यदि वह सम्यक् ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।

(2) ए.आई.आर. 1960 उड़ीसा 151(163) पर यह प्रतिपादित किया है कि "सद् भावनापूर्वक" कार्य का विचार अभियुक्त की स्थिति तथा किन परिस्थितियों में उसने कार्य किया है उसके सम्बन्ध में देखा जाना चाहिए।

टिप्पणी

वन अपराध में न्यायालय द्वारा उसका संज्ञान लिए जाने पर इस धारा के प्रावधान प्रयोज्यनीय हैं। (योगेश वि. योगेन्द्र वर्गे. वि. म.प्र. राज्य वर्गे. 2013(1) म.प्र.लॉ.ज. 498 (खंडपीठ म.प्र. = 2013 (1) म.प्र.वी.नो. 172 (खंडपीठ म.प्र.)।

धारा 75. वन अधिकारी व्यापार नहीं करेंगे - राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञप्ति के बिना कोई वन अधिकारी, मालिक या अभिकर्त्ता के रूप में इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज का व्यापार नहीं करेगा, या किसी वन के पट्टे (Lease) में या वन के ठेके में हितबद्ध नहीं होगा या बनेगा चाहे वे उन राज्य क्षेत्रों के, जिन पर यह नियम निस्तारित होता है, अन्दर हो या बाहर हो।

धारा 76. नियम बनाने की अतिरिक्त शक्तियाँ - राज्य निम्नलिखित के लिये नियम बना सकेंगी -

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी वन अधिकारी को शक्तियाँ या कर्त्तव्यों को निहित व सीमित करने के लिये।

(ख) इस अधिनियम के अधीन जुर्माना और अधिहरण के आगमों में से अधिकारियों और सूचना देने वाले पुरस्कारों का विनियमन करने के लिये।

(ग) सरकार के वृक्षों और इमारती लकड़ी का जो प्रायवेट व्यक्तियों की भूमियों में उगे हुए हैं या उनके अधिपत्य में है, के संरक्षण पुनरोत्पादन, और व्ययन करने के लिये, और

(ग-क) इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त किए जाने के लिए दी जाने वाली प्रतिभूति का प्रारूप विहित करने के लिए,

(ग-ख) इस अधिनियम की धारा 80-ए की उपधारा (3) के अधीन वन पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को या इस निमित्त राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत ऐसे पदाधिकारी को अपील करने की कालावधि और रीति विहित करने के लिए,

(घ) साधारणत: इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये।

धारा 76. के अन्तर्गत बने नियम - अधिसूचना क्र. 130-130-484-XV दि. 31.1.28 क्र. 624-625-341-XV दि. 12-6-28 एवं क्र. 78-XV- दि. 12-6-29

(धारा 76 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत)

(1) समस्त वन संरक्षक, समस्त कलेक्टर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक (अब सहायक वन संरक्षक) (चाहे वे परिवीक्षाधीन (Probation) हों या अन्यथा) तहसीलदार, वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल, वनपाल, वनरक्षक, (चाहे वे अस्थाई नियुक्ति पर हों, या स्थाई) को इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त कार्य करने एवं अधिनियम में दिये वन अधिकारियों के अधिकारों का उपयोग करने हेतु नियुक्त किया जाता है।

---

1. मध्य प्रदेश अधिनियम 9, वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।
2. म. प्र. विधान क्र. 25 वर्ष 1983 द्वारा पुन: संशोधित।

(2) निम्न तालिका में प्रथम कॉलम में दिये अधिकारी उनके आगे कॉलम 2 एवं 3 में दर्शाये अधिकारों का उपयोग करेंगे :

	अधिकारी का वर्ग (1)	धारा (2)	अधिकार का संक्षिप्त उल्लेख (3)
(1)	समस्त उपवन संरक्षक तथा सहायक वन संरक्षक जब वे वन मण्डल के प्रभार में हो।	21	आरक्षित वन की अधिसूचना के रूपान्तरण (Translation) का प्रकाशन।
		26(1) (c)	ऐसी अवधि (Season) की अधिसूचना जारी करना जब वन में आग जलाना प्रतिबद्ध न हो।
		45 (2)	बहती हुई (Drift timber) लकड़ी के डिपो घोषित करना।
		46	बहती हुई लकड़ी के दावेदारों को सूचना देना।
		47	बहती लकड़ी के दावों को निपटाना।
		50	बहती लकड़ी के सम्बन्ध में भुगतान लेना।
		61	जप्त सम्पत्ति को छोड़ने के निर्देश देना।
		83 (a)	शासकीय बकाया धन की वसूली के लिये वनोपज का बेचना।
		80 'A'	आरक्षित एवं संरक्षित वन की भूमि पर से अवैध कब्जेदार (Encroacher) को हटाना तथा उस भूमि की फसल, ढाँचा (Structure), राजसात् (Forfeit) करना)।
(2)	समस्त जिलाध्यक्ष (Collectors), उप वन संरक्षक, सहायक जिलाधीश (Asstt. Collector) उप-जिलाधीश (Dy Collectors) सहायक वन संरक्षक, उप वन मण्डलाधिकारी, तहसीलदार, वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी, तथा उप वन क्षेत्रपाल तथा वनपाल जब वे वन संरक्षक द्वारा विशेष, रूप से अधिकृत हों।	26 (2) (a)	धारा 26 (1) में प्रतिबन्धित कार्यों की अनुमति देना।
(3)		41, 62	म. प्र. ट्रान्जिट रूल 1961 की धारा 14 के अधीन डिपो स्थापित करना जहाँ वनोपज परीक्षण, हैमर लगाने एवं वसूल होने योग्य रकम का निर्धारण करने हेतु ले जाई जावेगी। म.प्र. ट्रान्जिट (फारेस्ट प्रोड्यूज) (Device) के रजिस्ट्रेशन का सर्टीफिकेट देना।
		52-(A)	धारा 52(3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर अपील या Suo-moto कार्यवाही करना।
(4)	समस्त वन संरक्षक, वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डलाधिकारी, या उपरोक्त अधिकारियों द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति।	41 42	म.प्र. ट्रान्जिट (फारेस्ट प्रोड्यूज) रूल 1961 की धारा 4(1) (A) तथा उसके प्रावधानों के अन्तर्गत शासन की वनोपज (जो किसी व्यक्ति की न हो) के परिवहन के लिये ट्रान्जिट पास जारी करना।
(5)	समस्त उप वन संरक्षक, वन संरक्षक या उप वनमण्डलाधिकारी जिन्होंने शासन द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा में 'वन विधि की परीक्षा पास की हो'।	72 (a)	अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में - (1) किसी जमीन पर प्रवेश करने, उसका सर्वेक्षण, सीमांकन करने या उसका नक्शा बनाना। (2) साक्ष्य की उपस्थिति एवं अभिलेख की प्रस्तुति के लिए विवश करने।
(6)	समस्त वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी, उप वन क्षेत्रपाल या पिरक्षेत्र सहायक, जिन्हें वन अपराधों की जाँच हेतु अधिकृत किया गया हो।	72 (b)	साक्षियों को बुनाने हेतु समन जारी करने का अधिकार।
(7)	समस्त उप वन संरक्षक, वन मण्डलाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, उप वन मण्डलाधिकारी, वन क्षेत्रपाल,	83 (1)	शासन की बकाया राशि की वसूली के लिये वनोपज कब्जे में लेना।

	परिक्षेत्र अधिकारी, या वन संरक्षक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत परिक्षेत्र सहायक।		
(8)	कोई पुलिस वन या राजस्व अधिकारी।	41	म. प्र. ट्रान्जिट (फारेस्ट प्रोड्यूज) रूल, 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत
		42	वनोपज को परीक्षण के लिये रोकना।
(9)	1. उप वन मण्डलाधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी)। 2. वन मण्डलाधिकारी	52 (3)	धारा 52 के अन्तर्गत जप्त वनोपज, वाहन, नाव, रस्सों को राजसात् करना (confiscate)
(10)	समस्त रेटेड एवं चराई पास जारी करने वाले वेंडर।	26 (2) a	आरक्षित वनों में धारा 26(1) का खण्ड (घ), (च), (छ) में वर्जित कार्यों की अनुमति देना।

धारा 76 (घ) के अन्तर्गत बने नियम - अधिसूचना क्र. 1126 दिनांक 27-11-1911 एवं 211 दिनांक 12-3-1912 :

(फारेस्ट मैन्युअल पैरा 77 उद्धृत)

(1) वन अपराध की जाँच परिक्षेत्र अधिकारी या उस परिक्षेत्र सहायक के द्वारा की जावेगी जिसे वन मण्डलाधिकारी ने इस हेतु अधिकृत किया हो।

साथ ही परिक्षेत्र सहायक द्वारा उसके स्वयं के पकड़े प्रकरण की जाँच तब तक नहीं की जावेगी जब ऐसा करने का विशेष, कारण न हो तथा उसे उस परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अनुमति दी हो जिसका वह मातहत है।

(2) जाँच समाप्त होने पर आगे किसी अधिकारी द्वारा, बिना वन मण्डलाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के, जाँच नहीं की जावेगी तथा ऐसी जाँच वन क्षेत्रपाल से अनिम्न अधिकारी को नहीं सौंपी जावेगी। यदि वन क्षेत्रपाल उपलब्ध न हो तो परिक्षेत्र अधिकारी को दी जावेगी। यदि अपराध, रिपोर्ट की तारीख से तीन माह पूर्व घटित हुआ हो, तो ऐसी जाँच वन मण्डलाधिकारी द्वारा स्वयं ही की जावेगी।

(3) वन रक्षक, अपराध का पता लगने के 48 घंटे में अपराध की रिपोर्ट समीपस्थ परिक्षेत्र सहायक या परिक्षेत्र अधिकारी को (जिन्हें रूल (1) में जाँच हेतु अधिकृत किया गया है) देगा।

(4) अपराध की सूचना प्राप्त होने पर, परिक्षेत्र अधिकारी या परिक्षेत्र सहायक, जितनी जल्दी संभव हो, यदि वन परिक्षेत्र अधिकारी है तो अधिकतम एक माह तथा परिक्षेत्र सहायक है तो अधिकतम 15 दिवस में जाँच पूर्ण करेगा। जाँच पूर्ण करेगा। जाँच जहाँ अपराध घटित हुआ है, या पकड़ा गया है उस स्थल या अन्य उसके पास सुविधाजनक स्थल पर की जावेगी। यदि आवश्यक हो तो अन्य स्थलों पर भी जाँच की जा सकेगी यदि अपराधी का उपस्थित रहना आवश्यक न हो। पर जाँच अधिकारी तीन दिन में पूरी होना चाहिए लेकिन यह वन मण्डलाधिकारी का अधिकार है कि जाँच हेतु सन्तोषप्रद कारण दर्शाने पर आठ दिवस तक अवधि में वृद्धि कर दें। अवधि समाप्त होने पर जाँच प्रतिवेदन, रूल 7 या 8 में दर्शाये अनुसार जाँच कार्यवाही (Proceeding) के साथ प्रस्तुत कर दी जावे।

(5) इन नियमों के अन्तर्गत जाँच करने वाला प्रत्येक अधिकारी, अपराध की सूचना प्राप्त होने की तिथि से प्रकरण की कार्यवाही "केस डायरी" में रखेगा। वह उस डायरी में निम्न बातें उल्लेख करेगा :

(1) समय व दिनांक जब सूचना हुई।

(2) जाँच के लिये जहाँ गये वह स्थल का नाम व वहाँ की गई कार्यवाही।

(3) साक्ष्यों को बुलाने एवं कथन लेने का विवरण।

(4) अपराधी का कथन।

(5) अन्य कार्यवाही का विवरण, जो कि जैसे स्थल निरीक्षण आदि।

(5) जाँच पूर्ण करने की तिथि अंकित करेगा वह साक्ष्यों के कथन लेगा तथा अपराधी का कथन लेखबद्ध करेगा व उसके हस्ताक्षर करायेगा तथा यह स्पष्ट करेगा कि अपराधी प्रकरण में राजीनामा करना चाहता है या नहीं केवल नियम (6) की स्थिति को छोड़कर जाँच पूर्ण होने पर किसी व्यक्ति को रोका नहीं जावेगा।

(6) सामान्यत: अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जावेगा जब तक उसका रहने का निश्चित ठिकाना हो या भागने की आशंका न हो। गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा या बिना विलम्ब किये पुलिस में दिया जावेगा।

(7) (अ) यदि जाँच अधिकारी को प्रकरण का अभिसंधान (Compound) करने की शक्ति है तो वह प्रकरण का अभिसंधान करेगा तथा क्षतिपूर्ति की रकम निश्चित करेगा, किन्तु कार्यवाही की सूचना वन मण्डलाधिकारी को अवश्य देगा।

(8) यदि जाँच अधिकारी प्रकरण के अभिसंधान हेतु अधिकृत नहीं है, या अपराधी ने राजीनामा देने से इंकार किया है, या उपस्थित होने से इंकार किया है, या नियम (4) में निर्धारित अवधि में जाँच पूर्ण नहीं करवाई है तो वह प्रकरण मय कार्यवाही के विवरण के, अपने से वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जाँच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर वन मण्डलाधिकारी आवश्यक आदेश देंगे। जाँच पूर्ण न होने पर आगे जाँच हेतु आदेश देंगे। लेकिन यदि जाँच में सात दिन से अधिक समय लगेगा तो इसका प्रतिवेदन डिप्टी कमिश्नर (जिलाधीश) को भेजा जावेगा।

केवल जब कोई व्यक्ति नियम 6 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया हो, को छोड़कर किसी प्रकरण का न्यायालय में चालान, बिना वन मण्डलाधिकारी के आदेश, नहीं किया जावेगा। चालान हेतु पत्र न्यायाधीश को लिखा जावेगा तथा निर्धारित चालान फार्म लगाया जावेगा। इसी प्रकार नियम 6 में गिरफ्तार व्यक्ति का भी चालान बनाया जावेगा।

पैरा 77 (ब) विभागीय आदेश क्र. 1012-E-196 दिनांक 27-4-28 ।

केस डायरी के लिये निम्न फार्म प्रयुक्त होंगे :

अंग्रेजी	शिड्यूल IX	89
हिन्दी	"	99

समस्त अधिकारी जो प्रकरण का अभिसधान करेंगे "फारेस्ट केस रजिस्टर" में विवरण रखेंगे। यह रजिस्टर शिड्यूल IX के फार्म 8 पर होगा। इस रजिस्टर के निम्न विवरण होंगे :

(1) अनुक्रमांक (Serial Number)

(2) अपराध होने का पी.ओ.आर. नम्बर तथा दिनांक

(3) रिपोर्ट होने का या शिकायत या पता लगाने का दिनांक।

(4) अपराधी का नाम, पिता का नाम, निवास-स्थान एवं अपराधी का सामाजिक स्तर।

(5) चोरी के प्रकरण में वनोपज का मूल्य या वन हानि के प्रकरण में हानि का मूल्यांकन।

(6) जाँच का संक्षिप्त विवरण व पारित आदेश।

(7) अधिकारी के हस्ताक्षर।

प्रत्येक प्रकरण के निर्णय पर निर्णायक अधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर होंगे।

यह रजिस्टर वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रत्येक जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर की 15 तारीख को जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जावेगा।

नोट : राजबाड़े समिति के प्रतिवेदन पर शासन ने इस रजिस्टर को कलेक्टर को प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त की।

(फारेस्ट कैन्युअल पैरा 77(a) के अन्तर्गत)

धारा 77. नियमों के भंग के लिये शास्तियाँ - इस अधिनियम के अधीन किसी नियम को, जिसके उल्लंघन के लिये कोई विशेष शास्ति उपबन्धित नहीं है, भंग करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के कारावास से जो [2](छः मास) तक का होगा और जुर्माने से जो [1](पन्द्रह हजार) रुपये तक हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा।

धारा 78. नियमों को विधि का बल प्राप्त होना - इन नियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जावेंगे और तदुपरि, जहाँ तक वे इस अधिनियम से सुसंगत हैं, वहाँ तक वे इस प्रकार प्रभावशाली होंगे मानो वे इसमें अधिनियमित हुए हैं।

---

1. वन अधिनियम क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।
2. वन अधिनियम 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।